न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
110 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	22.11.2022	15.02.2023

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
............आवेदक

बनाम

1—श्री शुभम गुप्ता पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता एफ.बी.ओ. मैसर्स मातेश्वरी डिपार्टमेन्टल स्टोर वार्ड नं. 17 कम्पू टोंक जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 17 कम्पू टोंक जिला टोंक
2—श्री पीयूष कुमार जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स पीयूष प्रोविजनल स्टोर ए—4, सरोवर कॉलोनी, सुभाष बाजार टोंक निवासी ए—4, सरोवर कॉलोनी, सुभाष बाजर टोंक
3—श्री मोहित जैन पुत्र श्री त्रिलोक चन्द जैन नॉमिनी मैसर्स रिद्वी सिद्वी फूड प्रोडक्ट्स ई—11 ए, रीको इण्ड. एरिया टोंक राज. निवासी प्लॉट नं. 7 शास्त्री नगर टोंक
..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी श्री मोहित जैन स्वयं।

:—निर्णय—: **दिनांक 15.02.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2022 को समय 12:21 पी.एम पर मैसर्स मातेश्वरी डिपार्टमेन्टल स्टोर वार्ड नं. 17 कम्पू टोंक जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री शुभम गुप्ता पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री शुभम गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **सूजी आर.टी. गोल्ड ब्राण्ड (Suji (Semolina) R.T. Gold Brand)** के 500—500 ग्राम क10 नग पॉली पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री शुभम गुप्ता को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **सूजी आर. टी. गोल्ड ब्राण्ड (Suji (Semolina) R.T. Gold Brand)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500—500 ग्राम के 4 पैक कुल 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सूजी आर.टी. गोल्ड ब्राण्ड (Suji (Semolina) R.T. Gold Brand)** कुल 2 किलोग्राम को चार साफ व सूखी कांच की शिशियों में प्रत्येक में 500 ग्राम रखकर चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3258 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3258 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री शुभम गुप्ता ने बतौर वारन्टी मैसर्स पीयूष प्रोविजनल स्टोर ए–4, सरोवर कॉलोनी, सुभाष बाजार टोंक का बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 3305 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. / 2628 / एक्ट / 2022 / 2665 दिनांक 29.08.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **सूजी आर.टी. गोल्ड ब्राण्ड (Suji (Semolina) R.T. Gold Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (3)(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

मैसर्स पीयूष प्रोविजनल स्टोर ए–4, सरोवर कॉलोनी, सुभाष बाजार टोंक से सम्पर्क किए जाने पर इस फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स रिद्वी सिद्वी फूड प्रोडक्ट्स ई–11 ए, रीको इण्ड. एरिया टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जो कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के श्री मोहित जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सूजी आर.टी. गोल्ड ब्राण्ड (Suji (Semolina) R.T. Gold Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी श्री मोहित जैन एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सूजी आर.टी. गोल्ड ब्राण्ड (Suji (Semolina) R.T. Gold Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.02.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0